राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851905–6 वेबसाईट – http://rera.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते

Rajasthan RERA

क्रमांक: एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/1899 दिनांक: 27.09.2021

आदेश

रेरा ऑथोरिटी के पूर्व आदेश क्रमांक 1883 दिनांक 24.09.2021 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय निकाय की स्वयं की और निजी खातेदार, निजी विकासकर्ता तथा को–ऑपरेटिव सोसायटी की जिन योजनाओं में दिनांक 01.05.2017 से पहले 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भूखण्डों का कब्जा सम्बन्धित आवंटियों को सौंपा जा चुका था या जिन योजनाओं को दिनांक 01.05.2017 से पहले सम्बन्धित स्थानीय निकाय को Common areas व Facilities के रख–रखाव (Maintenance) हेतु स्थानान्तरित किया जा चुका था, ऐसी योजनाओं का भी रेरा में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नही है।

इस प्रकार, निम्न श्रेणी की योजनाओं को छोडकर, नगरीय निकाय की स्वयं की और निजी खातेदार, निजी विकासकर्ता तथा को–ऑपरेटिव सोसायटी की किसी भी योजना में पट्टे जारी करने से पहले उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है:–

1. वे योजनाएं जिनमें दिनांक 01.05.2017 से पहले नगरीय निकाय द्वारा कम से कम एक भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा चुका था।

2. वे योजनाएं जिनका दिनांक 01.05.2017 से पहले विकास कार्य पूरा हो चुका था और उनका पूर्णता प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) जारी हो चुका था या प्रक्रियाधीन था।

3. वे योजनाएं जिनमें दिनांक 01.05.2017 से पहले 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भूखण्डो का कब्जा सम्बन्धित आवंटियों को सौंपा जा चुका था।

4. वे योजनाएं जिन्हे दिनांक 01.05.2017 से पहले विकासकर्ता निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन मण्डल) द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) को Common areas व Facilities के रख–रखाव (Maintenance) हेतु स्थानान्तरित (handover) किया जा चुका था और वे योजनाएं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक विकास शुल्क सम्बन्धित नगरीय निकाय में जमा कराया जा चुका था।

यह अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851905–6 वेबसाईट – http://rera.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते
Rajasthan RERA

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि इस आदेश की प्रति सभी नगरीय निकायों को प्रेषित कराने का श्रम करावें।

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रार